अररिया समाहरणालय
(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

पत्रांक /आ0प्र0

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
अररिया

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

अररिया, दिनांक वीं जून, 2015

विषय : वर्ष, 2015 के सम्भावित बाढ़ को देखते हुए बाढ़ सहाय्य से संबंधित आवश्यक सामग्रियों की निविदा सूचना प्रकाशित करवाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अल्पकालीन निविदा की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु इस पत्र के साथ निविदा सूचना की पाँच-पाँच प्रति एवं सी0डी0 संलग्न कर भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि दिनांक 22.06.2015 तक दो-तीन प्रमुख स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में उक्त निविदा सूचना प्रकाशित करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 334 /आ0प्र0, अररिया, दिनांक 19 वीं जून, 2015

प्रतिलिपिः अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया/जिला आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं अररिया जिला के अधिकारिक बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को अल्पकालीन निविदा सूचना की प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से अपने जिला में निविदा की सूचना का प्रचार-प्रसार करवाने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपिः आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

19/6/15

जिला पदाधिकारी,
अररिया

बिहार सरकार

अररिया समाहरणालय

(आपदा प्रबंधन प्रशाखा)

दूरभाष सं0 : 06453-222001(का0)
06453-222102(आ0)
फैक्स सं0 : 06453-222124
Email : dm-araria.bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा सूचना

सम्भावित बाढ़-2015 की पूर्व तैयारी के लिए एवं बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत मुहैया कराने के उद्देश्य से अधोलिखित वस्तुओं के दर निर्धारण हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से दिनांक 03.06.2015 को सीलबंद निविदा आमंत्रित की गयी थी। निर्धारित तिथि को किन्हीं निविदादाता से निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुनः इच्छुक आपूर्तिकर्त्ताओं से सीलबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से **मो0 10,000.00 (दस हजार)** रूपये की जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में या नगद जिला नजारत प्रशाखा, अररिया में जमा करनी होगी। अल्पकालीन निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि **30.06.2015** को अपराह्न 1.00 बजे तक होगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें स्वयं निविदादाता या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। आवश्यक सामग्रियों की सूची निम्न प्रकार हैः-

क्र0सं0	सामग्री का नाम	साईज/गुणवत्ता	विशिष्टियाँ/अन्य विवरणी	सामग्री की मात्रा
1	महाजाल	100'X25'Xgap 3"	नायलोन धागा	आवश्यकतानुसार
2	पॉलिथीन सीट्स	4m X 5m (250 माईक्रॉन का)	डी0जी0एस0 एण्ड डी0 में निबंधित फर्म एवं उसके मापदण्ड के अनुसार दर प्रति किलो	आवश्यकतानुसार

निविदा की आवश्यक शर्तेः-

1. निविदा के साथ अपनी दुकान एवं प्रतिष्ठान का अधिनियमों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति, वाणिज्यकर एवं आयकर प्रमाणपत्र देना अनिवार्य होगा।
2. निविदा में सभी करों सहित दर स्पष्ट करना आवश्यक होगा।
3. निविदा खोलने की तिथि को निविदादाता सभी सामग्रियों का नमूना साथ में लाएगें ताकि उनकी गुणवत्ता एवं वनज आदि की जाँच की जा सके।
4. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाताओं को इस आशय का एकरारनामा करना होगा कि वे आपूर्ति आदेश के 15 दिनों के अन्दर नमूना के अनुरूप साईज, गुणवत्ता एवं मात्रा के अनुसार सामग्रियों की आपूर्ति करेंगे एवं आवश्यकतानुसार जिला के सभी 09 अंचल मुख्यालय तक पहुँचाएँगे। इसके लिए अलग से कोई परिवहन शुल्क या अन्य भुगतान नहीं किया जायेगा।
5. स्वीकृत की गयी निविदा के निविदादाता नमूना के अनुसार सामग्रियों के भण्डारण पर्याप्त मात्रा में अपने पास कर लेंगे।
6. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।

7. स्वीकृत किये गये नमूने के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति नहीं किये जाने पर आपूर्तिकर्त्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए आपूर्ति की गयी सामग्रियों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

8. स्वीकृत निविदाकर्त्ता के द्वारा ससमय सामग्री नहीं आपूर्ति किये जाने की स्थिति में आवश्यकता के मद्देनजर अन्य निविदाकर्त्ताओं से स्थानीय बाजार से अनुमोदित दर पर आपूर्ति ली जा सकती है।

9. स्वीकृत निविदादाताओं को छोड़कर शेष निविदादाताओं की जमानत राशि शीघ्र ही वापस कर दी जायेगी।

10. बिना कारण बताये निविदा रद्द करने अथवा स्थगित करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

विशेष जानकारी के लिए जिला पदाधिकारी, अररिया के बेवसाईट dm-araria.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

13/6/11

जिला पदाधिकारी,
अररिया